दैनिक जागरण 26/7/2026

एक अप्रैल 2022 से मिली कालेज प्रोफेसर्स को केस प्रमोशन

- कालेज प्रोफेसर को जुलाई 2018 से मिलना था केस प्रमोशन का लाभ
- पंजाब व केंद्रीय सेवा नियमों की उलझन के कारण चार वर्ष बाद प्रशासन ने दिया लाभ

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कालेजों में कार्यरत प्रोफेसर को एक अप्रैल 2022 से करियर एडवांसमेंट स्कीम (केस) प्रमोशन का लाभ मिलेगा। यह घोषणा उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। गौरतलब है कि कालेज प्रोफेसर को पे स्केल के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) केस प्रमोशन देती है। मार्च 2022 तक चंडीगढ़ में पंजाब सेवा नियम लागू थे और पंजाब सरकार ने इसे उस समय तक केस नहीं की थी। 29 मार्च 2022 में चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू हुए जिसके कारण प्रोफेसर को यह लाभ प्रशासन ने एक अप्रैल 2022 से देने की घोषणा की है। इस प्रमोशन से चंडीगढ़ के कालेज में कार्यरत एक हजार से ज्यादा अस्सिटेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल को भी आर्थिक लाभ होगा क्योंकि उन्हें प्रमोशन के साथ सातवां पे स्केल का लाभ मिलेगा। पंजाब और केंद्रीय सेवा नियमों में उलझकर चंडीगढ़ प्रशासन केस प्रमोशन को चार वर्ष में लागू नहीं कर पाया था जिसका मुद्दा दैनिक जागरण ने पांच जुलाई 2026 के अंक में प्रमुखता से उठाया था। प्रमोशन नहीं होने से प्रोफेसर का सातवां पे स्केल रूका हुआ था जिसका अब शिक्षकों को एरियर मिलेगा।

वित्तीय संकट में यूटी शिक्षा विभाग 1800 शिक्षक लाभ की प्रतीक्षा में

दैनिक जागरण के पांच जुलाई के अंक में प्रकाशित समाचार।

प्रशासक की बनाई कमेटी ने दो महीने में लिया निर्णय : चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार मार्च 2022 तक पंजाब ने यूजीसी के नियम (केस) का पालन नहीं किया था। अब चंडीगढ़ प्रशासन केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद ही केस प्रमोशन को लागू कर सकता है। मामले के समाधान के लिए 29 अप्रैल 2026 को प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने वित्त सचिव दीप्रा लाकड़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके केस प्रमोशन देने के निर्देश दिए थे। कमेटी ने विभिन्न बैठकें करके इसे एक अप्रैल 2022 से लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रोफेसर को प्रशासन के फैसले से निश्चित तौर पर लाभ हुआ है, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई 2018 के बजाए एक अप्रैल 2022 से लागू करना कानून और न्याय की भावना के विपरीत है। इससे शिक्षकों की वैधानिक सेवा अवधि, पदोन्नति, वरिष्ठता और आर्थिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। कानून के नाम पर शिक्षकों के वैधानिक अधिकारों को सीमित करना 'कानूनी भ्रष्टाचार' का प्रतीक है। वास्तविक न्याय तभी होगा, जब यूजीसी रेगुलेशंस, 2018 को उसकी अधिसूचना तिथि जुलाई 2018 से प्रभावी माना जाएगा।

डाक्टर सुमित गोखलानी, एग्जीक्यूटिव सदस्य।

हिन्दुस्तान टाइम्स 26/7/2026

Admn grants CAS promotions to college teachers from 2022

CHANDIGARH: Teachers of seven privately managed government-aided colleges in the city have been granted promotion benefits under Career Advancement Scheme (CAS) – a structured, time-bound promotion programme for faculty and academic staff in universities and colleges– as per the University Grants Commission 2018 regulations.

The orders were passed Friday by director higher education Palika Arora on the recommendations of a high-powered committee constituted by the UT.

Around 550-600 teachers teaching in these colleges will be provided promotional benefits with effect from April 1, 2022.

The decision has, however, deprived teachers of DAV College, Sector 10, MCM-DAV, Sector 36, Goswami Ganesh Dutta Sanatan Dharma College College, Sector 32, Sri Guru Gobind Singh College, Sector 26, Guru Gobind Singh College for Women, Sector 26, and Dev Samaj College for Women, Sector 45, and Dev Samaj College for Education, Sector 36, who got eligible for the promotions between July 18, 2018 (the date on which the UGC Regulations, 2018, were notified) and March 31, 2022. The teachers have urged UT to immediately rectify the anomaly. HTC